(1) प्र.सं. 27/2022 श्रीमती यशोदा बनाम सोहनलाल के बजाय वरदीबाई व अन्य
(2) प्र.सं. 28/2022 श्रीमती यशोदा बनाम सोहनलाल के बजाय वरदीबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट सोहनलाल ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रेलमगरा में आराजी नंबर 1356, 1357, 1643 कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है, किन्तु विधिवत विभाजन नहीं होने से अनावश्यक विवाद उत्पन्न होता है। अतः विवादित आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2019 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 18.12.2019 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपील संख्या 27/2022 तथा अपील संख्या 28/2022 दिनांक 19.12.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 103/2018 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे। अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 अभिभाषक श्री मुकेश चन्द्र शर्मा उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:43 IST
Reason: SelfAttested

दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि अपीलान्टइ ने दिनांक 04.11.2022 को न्यायालय में जाकर जानकारी प्राप्त की तो दिनांक 07.11.2022 को प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर दोनों अपीलें अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं करवायी गयी है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर सभी पक्षकारों को सुने बिना वाद डिक्री किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि वादी सोहनलाल का हिस्सा कन्वर्ट हो चुका है, जिससे विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रोपर तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय से साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित कर डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलान्ट की तामील व्यक्तिगत रूप से नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गयी है जबकि आदेश 5 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रावधानों अनुसार प्रतिवादी की तामील व्यक्तिगत रूप से होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। रेस्पोन्डेन्टगण का यह कथन कि विवादित भूमि कन्वर्ट हो जाने से कृषि भूमि नहीं रही है ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं है, किन्तु हम यह पाते हैं कि वक्त दावा विवादित भूमि कृषि भूमि थी, दौराने अपील भूमि कन्वर्ट हुई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट की उक्त आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 103/2018 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.07.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.12.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.07.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:43 IST
Reason: SelfAttested